27

संयुक्त राष्ट्र-संघ

[UNITED NATIONS ORGANIZATION]

हमें ज्ञात है कि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद देश में स्थायी शान्ति बनाये रखने और युद्ध के भय को रोकने के लिये राष्ट्र-संघ की स्थापना की गयी थी किन्तु विभिन्न देशों के आपसी स्वार्थों के कारण यह महान् संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। राष्ट्र-संघ पूरी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर आधारित था, परन्तु यह विचार भी असफल रहा, और 20 वर्ष के बाद द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका से संसार झुलसने लगा, जो राष्ट्र-संघ की सबसे बड़ी असफलता थी।

प्रथम महायुद्ध की तुलना में द्वितीय विश्वयुद्ध अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसके अनेक विनाशकारी भयंकर परिणाम हुए, जो मानव मात्र को भुगतने पड़े। इस महायुद्ध में जन और धन की बहुत बड़ी हानि हुई। सम्पूर्ण संसार के लोग इस महायुद्ध के परिणामों से भयभीत थे और युद्ध से हमेशा के लिये छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। यद्यपि यूरोप के राजनीतिज्ञ इस दिशा में किये गये अपने प्रथम प्रयासों में पूरी तरह से असफल रहे थे और यूरोप स्थायी शान्ति स्थापित नहीं कर सका, लेकिन फिर भी वे अपनी पहली असफलता से निराश नहीं हुए थे। राष्ट्र-संघ की असफलता परस्पर सहयोग, समन्वय और अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना से की जा सकती थी। इस विचार ने ही संयुक्त राष्ट्र-संघ के विचार को जन्म दिया। प्रो. मुकर्जी ने इस सन्दर्भ में लिखा है—"....अतीतकालीन असफलताओं के बाद भी मनुष्य का आशावाद अनुत्तरदायित्वपूर्ण है और उसने युद्ध के भयंकर खतरों में भी 'विश्व सरकार' के महत्वपूर्ण स्वप्न को साकार होते हुए देखा है जिसके अन्तर्गत सभी राष्ट्र एकता की भावना से निवास कर सकते हैं। इसी आदर्श ने संयुक्त राष्ट्र-संघ की भावना को जन्म दिया था।"[1]

अटलाण्टिक चार्टर

[ATLANTIC CHARTER]

14 अगस्त, 1941 ई. को अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री चर्चिल दोनों न्यूफाउण्डलैण्ड के पास अटलाण्टिक सागर में मिले। दोनों ने यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा की जिसके अन्तर्गत उन उद्देश्यों और मूल सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया गया था जो युद्धोत्तर रचनात्मक कार्यों में प्रयोग किये जाने थे। इसे अटलाण्टिक चार्टर के नाम

---

1 "....inspite of past failures man's optimism is irresponsible and he has looked forward even in the midst of mortal perils of this hideous war, to the prospect of realising, the ideal of one 'world state' in which all nations may dwell together in unity. It is this ideal which gave birth to the United Nations Organization." —Prof. Mookerjee

से जाना जाता है जिसके अन्तर्गत संसार के उत्तम भविष्य की आशा की गयी थी। इस चार्टर में उन्होंने निम्नलिखित घोषणा की थी—

"हम संसार में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं, हम आत्म-निर्णय के सिद्धान्त तथा प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा राज्य के निर्माण सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तथा हम प्रत्येक राष्ट्र के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता चाहते हैं। अन्त में यह भी आशा व्यक्त की गयी थी कि प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध को त्यागकर शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करना चाहिए।"[1]

अटलाण्टिक चार्टर में आठ मुख्य सिद्धान्त थे जो निम्न प्रकार थे—

1. सम्बन्धित व्यक्ति की राय के बिना कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2. प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छानुसार किसी शासन-पद्धति को अपने यहाँ लागू करे।

3. सम्प्रभुता एवं स्वायत्तता का अधिकार केवल उन देशों को दिया जायेगा जो उससे वंचित थे।

4. सभी लोगों को विदेशी आक्रमण के भय से मुक्त होकर रहने का आश्वासन दिया जायेगा और इस बात के प्रयास किये जायेंगे कि लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपने-अपने राष्ट्रों में निवास करें।

5. किसी भी देश को युद्ध से आर्थिक लाभ उठाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

6. सभी राष्ट्रों को विश्व के किसी भी भाग से कच्चा माल प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. सभी देशों को स्वतन्त्रतापूर्वक समुद्री मार्गों पर आवागमन का अधिकार प्राप्त होगा।

8. यह प्रयत्न किया जायेगा कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के प्रयोग का परित्याग हो जाये।

प्रारम्भ में 26 राष्ट्रों ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया था। 2 जनवरी, 1942 ई. को इन देशों के राष्ट्रपतियों ने इसके मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिये। यह मसौदा इतिहास में 'संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा' (Declaration of the United Nations) के नाम से जाना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र-संघ

[UNITED NATIONS ORGANIZATION]

इस प्रकार, 1942 ई. के अटलाण्टिक चार्टर ने सिद्धान्तों और उद्देश्यों की दृष्टि से एक सामान्य योजना का निर्माण किया। इसमें यह राय व्यक्त की गयी थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाये, जिससे संसार में शान्ति अक्षुण्ण बनी रहे। मित्रराष्ट्र भी इस प्रकार के एक संगठन की स्थापना विश्व-शान्ति हेतु आवश्यक समझते थे। इस उद्देश्य से ही चार बड़े देशों के विदेश मन्त्री (रूस, चीन, इंग्लैण्ड व अमरीका) 1943 ई. में मास्को में मिले। इस सम्मेलन में इन्होंने यह निश्चय किया कि शीघ्रातिशीघ्र समानता

1 "We want to establish peace in the world, we accept the principle of self-determination and the formation of [illegible] and we want the freedom of international trade fo[illegible]

Scanned by CamScanner

के सिद्धान्त पर आधारित एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाये जो शान्ति में विश्वास करता हो।

अक्टूबर 1944 ई. में वाशिंगटन नगर में डम्बरटन ओक्स नामक स्थान पर दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में इंगलैण्ड, रूस, चीन और अमरीका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की एक विशाल योजना विश्व के अन्य देशों के सम्मुख प्रस्तुत की। इस योजना पर 1945 ई. के सेन-फ्रांसिस्को के सम्मेलन में पूर्ण विचार-विमर्श हुआ, जिसमें पचास देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पर्याप्त समय के विचार-विमर्श के बाद प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-संघ के चार्टर को प्रकाशित कर दिया। लगभग 48 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र-संघ का गठन हुआ।

संयुक्त राष्ट्र-संघ का प्रयोजन और उद्देश्य (Aims & Objectives of U. N. O.)

संयुक्त राष्ट्र-संघ के चार्टर की प्रस्तावना में उसके मूल प्रयोजन का वर्णन किया गया था। इस संस्था के संस्थापक राष्ट्रों का मुख्य लक्ष्य संसार में शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना, मित्रता तथा परस्पर सहयोग को स्थापित करना, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर विभिन्न देशों की समस्याओं को सुलझाना, अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना तथा सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा और संस्कृति के भेदभाव के बिना समाज में मौलिक अधिकार और स्वतन्त्रता प्रदान करना था। फिर भी उनका उद्देश्य किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं था। एक प्रसिद्ध विद्वान ने संयुक्त राष्ट्र-संघ के सम्बन्ध में लिखा है—"संयुक्त राष्ट्र-संघ विभिन्न राज्यों का एक ऐसा संगठन है जिन्होंने एक-दूसरे को चार्टर पर हस्ताक्षर करके यह वचन दिया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखेंगे तथा राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहयोग करेंगे जिसके द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस चार्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे संगठन को यह अधिकार प्राप्त हो जाये कि वह किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करें।"[1]

संयुक्त राष्ट्र-संघ के चार्टर की प्रस्तावना का यह अंश जो इस संगठन के प्रयोजन से सम्बन्धित है, निम्नवत् है—

"हम संयुक्त राष्ट्रों की जनताओं ने यह निश्चय किया है कि भावी पीढ़ियों को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टों से बचाने का, जिसके कारण हमारे जीवन में दो बार मानव जाति को अपार दुःख भोगना पड़ा, आधारभूत मानवीय अधिकारों, मानव प्रतिष्ठा और महत्व, स्त्री-पुरुष तथा छोटे-बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी निष्ठा की पुनः पुष्टि करने का, और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का, जिनसे सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान का दृष्टिकोण ग्रहण किया ...
विस्तृत स्वतन्त्रता के वातावरण में ...

Scanned by CamScanner

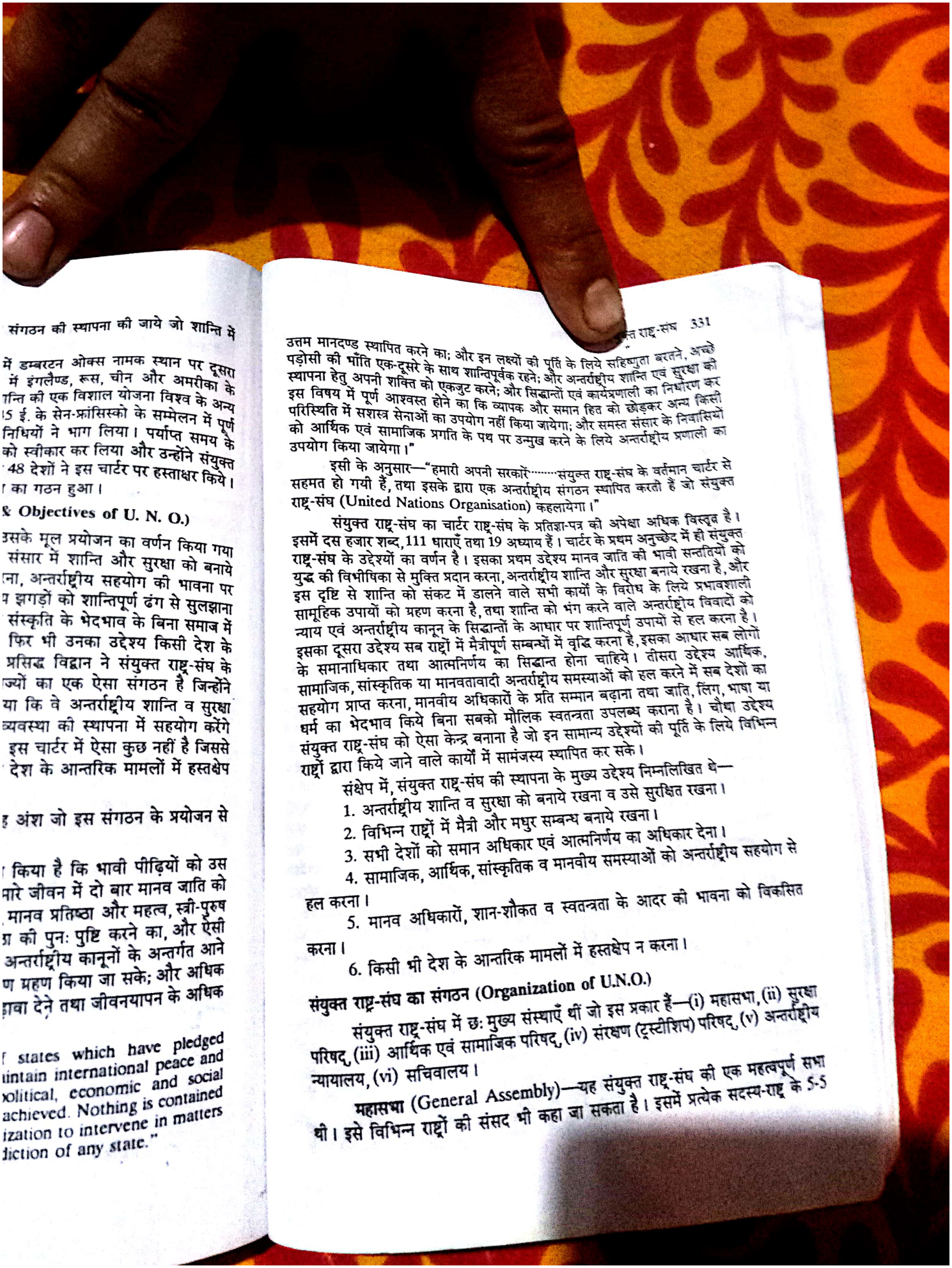

संगठन की स्थापना की जाये जो शान्ति में

में डम्बरटन ओक्स नामक स्थान पर दूसरा
में इंगलैण्ड, रूस, चीन और अमरीका के
ान्ति की एक विशाल योजना विश्व के अन्य
15 ई. के सेन-फ्रांसिस्को के सम्मेलन में पूर्ण
निधियों ने भाग लिया। पर्याप्त समय के
को स्वीकार कर लिया और उन्होंने संयुक्त
48 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किये।
ा का गठन हुआ।

& Objectives of U. N. O.)

उसके मूल प्रयोजन का वर्णन किया गया
संसार में शान्ति और सुरक्षा को बनाये
ना, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पर
प झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना
संस्कृति के भेदभाव के बिना समाज में
फिर भी उनका उद्देश्य किसी देश के
प्रसिद्ध विद्वान ने संयुक्त राष्ट्र-संघ के
ाज्यों का एक ऐसा संगठन है जिन्होंने
या कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा
व्यवस्था की स्थापना में सहयोग करेंगे
इस चार्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे
देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप

ह अंश जो इस संगठन के प्रयोजन से

ा किया है कि भावी पीढ़ियों को उस
मारे जीवन में दो बार मानव जाति को
मानव प्रतिष्ठा और महत्व, स्त्री-पुरुष
ा की पुनः पुष्टि करने का, और ऐसी
अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत आने
ण ग्रहण किया जा सके; और अधिक
ढ़ावा देने तथा जीवनयापन के अधिक

f states which have pledged
intain international peace and
political, economic and social
achieved. Nothing is contained
ization to intervene in matters
diction of any state."

उत्तम मानदण्ड स्थापित करने का; और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सहिष्णुता बरतने, अच्छे पड़ोसी की भाँति एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहने; और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना हेतु अपनी शक्ति को एकजुट करने; और सिद्धान्तों एवं कार्यप्रणाली का निर्धारण कर इस विषय में पूर्ण आश्वस्त होने का कि व्यापक और समान हित को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में सशस्त्र सेनाओं का उपयोग नहीं किया जायेगा; और समस्त संसार के निवासियों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के पथ पर उन्मुख करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया जायेगा।"

इसी के अनुसार—"हमारी अपनी सरकारें·······संयुक्त राष्ट्र-संघ के वर्तमान चार्टर से सहमत हो गयी हैं, तथा इसके द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करती हैं जो संयुक्त राष्ट्र-संघ (United Nations Organisation) कहलायेगा।"

संयुक्त राष्ट्र-संघ का चार्टर राष्ट्र-संघ के प्रतिज्ञा-पत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इसमें दस हजार शब्द, 111 धाराएँ तथा 19 अध्याय हैं। चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में ही संयुक्त राष्ट्र-संघ के उद्देश्यों का वर्णन है। इसका प्रथम उद्देश्य मानव जाति की भावी सन्ततियों को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना है, और इस दृष्टि से शान्ति को संकट में डालने वाले सभी कार्यों के विरोध के लिये प्रभावशाली सामूहिक उपायों को ग्रहण करना है, तथा शान्ति को भंग करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के आधार पर शान्तिपूर्ण उपायों से हल करना है। इसका दूसरा उद्देश्य सब राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में वृद्धि करना है, इसका आधार सब लोगों के समानाधिकार तथा आत्मनिर्णय का सिद्धान्त होना चाहिये। तीसरा उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में सब देशों का सहयोग प्राप्त करना, मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म का भेदभाव किये बिना सबको मौलिक स्वतन्त्रता उपलब्ध कराना है। चौथा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र-संघ को ऐसा केन्द्र बनाना है जो इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर सके।

संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र-संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे—

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनाये रखना व उसे सुरक्षित रखना।
2. विभिन्न राष्ट्रों में मैत्री और मधुर सम्बन्ध बनाये रखना।
3. सभी देशों को समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय का अधिकार देना।
4. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से हल करना।
5. मानव अधिकारों, शान-शौकत व स्वतन्त्रता के आदर की भावना को विकसित करना।
6. किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।

संयुक्त राष्ट्र-संघ का संगठन (Organization of U.N.O.)

संयुक्त राष्ट्र-संघ में छः मुख्य संस्थाएँ थीं जो इस प्रकार हैं—(i) महासभा, (ii) सुरक्षा परिषद्, (iii) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्, (iv) संरक्षण (ट्रस्टीशिप) परिषद्, (v) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, (vi) सचिवालय।

महासभा (General Assembly)—यह संयुक्त राष्ट्र-संघ की एक महत्वपूर्ण सभा है। इसमें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के 5-5 थी। इसे विभिन्न राष्ट्रों की संसद भी कहा जा सकता है।

Scanned by CamScanner